No.12012/37/2020-UPP(E-29297)
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Fertilizers

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 01/07/ 2025

To

The Managing Director,
M/s. Chambal Fertilizers & Chemicals Limited,
1st Floor, 5 Commercial Centre, Jasola,
New Delhi – 110025.

Subject: - Revision in Provisional Concession Rates and Sales Tax Rates per MT of urea on account of annual escalation/de-escalation in input prices for the financial year 2022-23 in respect of Chambal Fertilizers & Chemicals Limited (CFCL), Gadepan-III.

Sir,

I am directed to say that it has been decided to revise the concession rates and Sales Tax per MT for urea produced by Chambal Fertilizers & Chemicals Limited (CFCL), Gadepan-III on account of annual escalation/de-escalation in input prices for the financial year 2022-23, as per details given below:

CFCL-Gadepan-III **Rs/MT**

Period	Details	Existing	Revised
01.04.2022 to 30.06.2022	Concession price including sales tax	49,743	49,729
01.07.022 to 30.09.2022	Concession price including sales tax	49,743	49,729
01.10.2022 to 31.12.2022	Concession price including sales tax	49,743	49,729
01.01.2023 to 31.03.2023	Concession price including sales tax	49,743	49,729

2. Further, it is mentioned that the unit has produced BRAC urea to the tune of 15,420.00 MT during the financial year 2022-23. Applicable concession rate of the urea produced beyond RAC by the unit is Rs.38,705 /MT.

3. It may also be mentioned here that the unit has sold surplus ammonia to the tune of 39,573.22 MT during the financial year 2022-23. In accordance with surplus ammonia policy dated 19.08.2008, FICC has calculated recovery of Rs. 28,99,28,388 from the unit.

4. The above concession rates and sales tax rates are subject to audit and revision on account of any correction in data / workings and computation, if noticed later.

5. You may prefer your claims on the basis of the revised concession price in the proforma prescribed by the FICC. Reduction in subsidy on account of downward revision of concession price may be duly adjusted in the arrears subsidy bills or fresh subsidy bills to be preferred with the FICC and in case no payments are due

from the Government, the amount be refunded to the Government by due date.

6. This issues with the concurrence of the Finance Division of this Department conveyed vide note #371 dated 25.06.2025 of E-File of even number.

Yours faithfully,

(Dinesh Chandra Sharma)
Under Secretary to the Government of India
Tele: 23389364

Copy to:

1. Controller of Accounts, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi
2. Director General, Fertilizers Association of India, 10 Shaheed Jit Singh Marg, new Delhi-110067
3. ED, FICC
4. Director (CE), FICC
5. Director of Accounts, Fertilizer Accounts Wing, Department of Fertilizers, Udyog Bhawan, New Delhi.
6. Pay & Accounts Officer, Department of Fertilizers, Janpath Bhawan, New Delhi.
7. Jt. Director (F&A), FICC, 8th Floor, Sewa Bhawan, New Delhi - 110066
8. Fin-II Desk, Department of Fertilizers
9. US (IT), DoF for uploading the Notification of concession rate on website of the Department.
10. Guard File.

(Dinesh Chandra Sharma)
Under Secretary to the Government of India
Tele: 23389364

सं.12012/37/2020-यूपीपी (ई-29297)

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 01 जुलाई, 2025

सेवा में,

प्रबंध निदेशक

मेसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड,

पहली मंजिल, 5 वाणिज्यिक केंद्र,

जसोला, नई दिल्ली -110025

विषय:-मेसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल)- गडेपन-III के संबंध में वर्ष 2022-23 की वार्षिक वृद्धि/कमी के कारण यूरिया की प्रति मीट्रिक टन अनंतिम रियायत दरों और बिक्री कर दरों में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 2022-23 की वार्षिक वृद्धि/कमी के कारण मेसर्स चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल)- गडेपन-III द्वारा उत्पादित यूरिया के प्रति मी.टन के लिए रियायत दरों और बिक्री कर दरों में एनसीवी आधार पर नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है:

सीएफसीएल- गडेपन-III **रुपए/मी.टन**

अवधि	विवरण	मौजूदा दर	संशोधित दर
01.04.2022 से 30.06.2022 तक	रियायत मूल्य	49743	49729
01.07.2022 से 30.09.2022 तक	रियायत मूल्य	49743	49729
01.10.2022 से 31.12.2022 तक	रियायत मूल्य	49743	49729
01.01.2023 से 31.03.2023 तक	रियायत मूल्य	49743	49729

2. इसके अलावा, यह उल्लेख किया गया है कि इकाई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 15,420.00 मीट्रिक टन BRAC यूरिया का उत्पादन किया है। इकाई द्वारा RAC से परे उत्पादित यूरिया की लागू रियायत दर 38,705 रुपये/मीट्रिक टन है।

3. यहां यह भी उल्लेख किया जा सकता है कि इकाई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 39,573.22 मीट्रिक टन अधिशेष अमोनिया बेचा है। अधिशेष अमोनिया नीति दिनांक

त्रि०न०शर्मा

19.08.2008 के अनुसार, एफआईसीसी ने इकाई से 28,99,28,388 रुपये की वसूली की गणना की है।

4. उपर्युक्त रियायत दरें और बिक्री कर दरें अनंतिम हैं जो बाद में ध्यान में आने वाले आंकड़ों/कार्य प्रणाली और गणना में किसी शुद्धि के कारण लेखा परीक्षा और संशोधन के अध्यधीन हैं।

5. आप अपने दावे एफआईसीसी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संशोधित रियायत मूल्य के आधार पर प्रस्तुत कर सकते हैं। रियायत मूल्य में अधोमुखी संशोधन के कारण राजसहायता में कमी को बकाया राजसहायता बिलों या एफआईसीसी को प्रस्तुत किए जाने वाले नए राजसहायता बिलों से विधिवत समायोजित किया जाए तथा यदि सरकार से कोई भुगतान देय न हो तो सरकार को यह राशि नियत तारीख तक लौटा दी जाए।

6. इसे इस विभाग के वित्त प्रभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है, जो सम संख्यांक की ई-फाइल के नोट #371 दिनांक 25.06.2025 द्वारा सूचित किया गया है।

भवदीय,

दिनेश च० शर्मा

(दिनेश चंद्र शर्मा)
अवर सचिव (यूपीपी)
दूरभाष: 23389364

प्रतिलिपिः

1. लेखा नियंत्रक, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, फर्टिलाइजर्स एसोशिएसन ऑफ इंडिया, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110067.
3. कार्यकारी निदेशक, एफआईसीसी
4. निदेशक (सीई), एफआईसीसी
5. निदेशक लेखा, उर्वरक लेखा विंग, उर्वरक विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।
6. वेतन एवं लेखा अधिकारी, उर्वरक विभाग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
7. संयुक्त निदेशक (एफएंडए), एफआईसीसी, 8वां तल, सेवा भवन, नई दिल्ली-110066
8. वित्त-।। डेस्क, उर्वरक विभाग।
9. अवर सचिव (आईटी) को इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
10. गार्ड फाइल।

दिनेश च० शर्मा

(दिनेश चंद्र शर्मा)
अवर सचिव (यूपीपी)
दूरभाष :23389364